

# छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कापोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(ISO 9001:2008 Certified)

उद्योग भवन, प्रथम तल, रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492006

CIN - U45203CG11981SG001853 PAN - AABCM6288N ST Regn No - AABCM6288ND004

दूरभाष - 0771-6002071, 72, 73; फ़ैक्स - 0771-2583794

Website: www.csidc.in Email address: csidc.cg@nic.in csidc\_raipur@yahoo.com

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना (मैनुअल पद्धति)

निविदा क्रमांक 03/संभाग-1/2016-17/

रायपुर, दिनांक 10/05/2016

मुहरबंद निविदाये फार्म "ए" (प्रतिशत दर) में वांछित श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली 'ई-पंजीयन' के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 26/05/2016 अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय, कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

स. क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	दर अनुसूची (एस.ओ.आर)
1	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा शाखा कार्यालय बिलासपुर के मरम्मत, पेंटिंग एवं एल्यूमिनियम पार्टिशन का कार्य।	1.85 लाख	2,000.00	300.00	02 माह	'द' वर्ग एवं इससे उपर	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा दिनांक-01.01.2015 से प्रचलित भवन एस.ओ.आर. एवं आयटम दर
2	औद्योगिक क्षेत्र सिरिगिट्टी, सेक्टर-ए, बी, सी एवं तिफरा में नाली एवं स्थल में एकत्रित कचरा/मिट्टी की सफाई का कार्य।	11.48 लाख	10,000.00	750.00	01 माह	'द' वर्ग एवं इससे उपर	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा दिनांक-01.01.2015 से प्रचलित भवन एवं सड़क एस.ओ.आर.

शर्त :-

- (1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता संभाग-1 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद मुख्यालय उद्योग भवन, प्रथम तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा रायपुर में भुगतान कर दिनांक 25/05/2016 को अपरान्ह 5.00 बजे तक कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (2) उपरोक्त कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
- (3) निविदा आवेदन के साथ जीवित पंजीयन, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का सावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी रायपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (5) उल्लेखित कार्य पूर्ण करने की अवधि से 01 वर्ष (12 माह) तक संपादित कार्य का संधारण तथा मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाना है। जिसके लिए कार्य की संपूर्ण लागत की 5% राशि Performance Guarantee के रूप में रोकी जावेगी, तथा वह राशि सफलतापूर्वक आवश्यक संधारण तथा मरम्मत कार्य पूर्ण किये जाने पर ही विमुक्त की जावेगी।
- (6) निविदा स्वीकृति उपरांत संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से प्राप्त कार्य का पंजीयन कराने के पश्चात् ही कार्यदेश जारी किया जावेगा साथ ही भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3(1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (construction work) पर 1% उपकर (शेष) देय होगा। देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी।
- (7) निविदायें निगम की निविदा पेटी में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (8) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
- (9) निविदा प्रकाशन में टंकन आदि की त्रुटि होने पर मूल अभिलेख ही मान्य होंगे।

कार्यपालन अभियंता (संभाग-1)